

प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 19.12.2025

अंगुठे का क्लोन तैयार कर अवैध अंकपत्र, आधार कार्ड व अन्य प्रमाण पत्र बनाने वाले 05 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा गैंग लीडर इमरान खान पुत्र फुन्ने खान व गैंग के सदस्य 1. श्याम बिहारी गुप्ता उर्फ गंगाराम 2. संदीप चौहान पुत्र अमरनाथ चौहान 3. जयन्त प्रताप सिंह पुत्र जगरनाथ प्रसाद व 4. तबरेज पुत्र अब्दुल खालिद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर इमरान खान पुत्र फुन्ने खान उपरोक्त अपने गिरोह के सदस्य के साथ मिलकर अंगुठे का क्लोन तैयार कर अवैध अंकपत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बनाने जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर इमरान खान पुत्र फुन्ने खान निवासी कोर्ट मोहल्ला गली वार्ड नं 07 निचलौल थाना निचलौल जनपद महाराजगंज हालपता आफिस मनसाबाग कालोनी हूँमायुपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर व गैंग के सदस्य 1. श्याम बिहारी गुप्ता उर्फ गंगाराम पुत्र अर्जुन लाल गुप्ता निवासी बिछिया यूनियन बैंक ए०टी०एम० वाली गली थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, 2. संदीप चौहान पुत्र अमरनाथ चौहान निवासी क्रिसेन्ट एकेडमी धर्मपुर निकट गीता वाटिका थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, 3. जयन्त प्रताप सिंह पुत्र जगरनाथ प्रसाद निवासी एम 26 चिउटीजाम पोस्ट जंगल कौड़िया थाना चिलुवाताल गोरखपुर आनर जे०पी०एस० पैरामेडिकल इन्स्ट्रीट्यूट निकट सिटी कार्टमाल बीआरडी मेडिकल रोड द्वारिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर व 4. तबरेज पुत्र अब्दुल खालिद निवासी हिन्दी मोहल्ला निकट टिकूलिया पुल वार्ड नं 09 थाना निचलौल जनपद महाराजगंज दुकान पाण्डेय मोहल्ला नगर पंचायत वार्ड नं 08 थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. गैंग लीडर-इमरान खान पुत्र फुन्ने खान निवासी कोर्ट मोहल्ला गली वार्ड नं 07 निचलौल थाना निचलौल जनपद महाराजगंज हालपता आफिस मनसाबाग कालोनी हूँमायुपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
 - मु०अ०सं० 0107/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कोतवाली गोरखपुर
 - मु०अ०सं० 0516/2016 धारा 138(बी) विद्युत अधि० कैण्ट गोरखपुर
2. श्याम बिहारी गुप्ता उर्फ गंगाराम पुत्र अर्जुन लाल गुप्ता निवासी बिछिया यूनियन बैंक ए०टी०एम० वाली गली थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
 - मु०अ०सं० 107/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कोतवाली गोरखपुर
 - मु०अ०सं० 218/2013 धारा भादसं० थाना कोतवाली गोरखपुर
3. संदीप चौहान पुत्र अमरनाथ चौहान निवासी क्रिसेन्ट एकेडमी धर्मपुर निकट गीता वाटिका थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
 - मु०अ०सं० 107/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कोतवाली गोरखपुर

4. जयन्त प्रताप सिंह पुत्र जगरनाथ प्रसाद निवासी एम 26 चिउटीजाम पोस्ट जंगल कौडिया थाना चिलुवाताल गोरखपुर आनर जे०पी०एस० पैरामेडिकल इन्स्ट्रीट्यूट निकट सिटी कार्टमाल बीआरडी मेडिकल रोड झुगिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
मु०अ०सं० 107/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कोतवाली गोरखपुर

5. तबरेज पुत्र अब्दुल खालिद निवासी हिन्दी मोहल्ला निकट टिकूलिया पुल वार्ड नं० 9 थाना निचलौल जनपद महराजगंज दुकान पाण्डेय मोहल्ला नगर पंचायत वार्ड नं० 8 थाना निचलौल जनपद महराजगंज
मु०अ०सं० 107/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कोतवाली गोरखपुर